अपीलीय न्यायालय
(गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना)

जितेन्द्र कुशवाहा
बनाम्
ईखायुक्त, बिहार
अपील सं०—04(A)/2025

आदेश पत्रक
(प्रधान सचिव, गन्ना उद्योग विभाग के समक्ष दायर अपील सं०—04(A)/2025 से संबधित)

आदेश का संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
11.12.2025	सुनवाई हुई। यह अपीलवाद श्री जितेन्द्र कुशवाहा द्वारा विभागीय आदेश संख्या—1436 दिनांक—12.09.2025 द्वारा पारित आदेश में Review/Modify करने का अनुरोध किया गया है। अपीलकर्त्ता श्री जितेन्द्र कुशवाहा की ओर से उनके प्रतिनिधि अपने अधिवक्ता के साथ, मेसर्स तिरूपति सुगर्स लि०, बगहा, प० चम्पारण के प्रतिनिधि अपने अधिवक्ता के साथ, सिधवलिया चीनी मिल के प्रतिनिधि, सेवरही चीनी मिल के प्रतिनिधि, सहायक ईखायुक्त, मुख्यालय, ईख पदाधिकारी रामनगर अंचल, बेतिया, ईख पदाधिकारी, बेतिया अंचल, बेतिया एवं विशेष ईख पदाधिकारी, गोपालगंज उपस्थित हुए। श्री जितेन्द्र कुशवाहा द्वारा बताया गया कि मेसर्स तिरूपति सुगर्स लि०, बगहा, प० चम्पारण को पेराई वर्ष 2025—26 के लिए पश्चिम चम्पारण जिलान्तर्गत ठकराहाँ प्रखण्ड के कोयरीपट्टी पंचायत के आठ ग्राम (1) मलाही टोला (2) मोती टोला (3) सिसवनिया (4) ठकराहाँ 'बी' (5) भतवाहा (6) भुआपट्टी (7) कोयरीपट्टी (8) जगीराहाँ ग्रामों को आरक्षित किया गया है, जो हमलोग के ग्राम से बगहा चीनी मिल काफी दूरी पर है। वहाँ गन्ना के आपूर्ति हेतु काफी कठिनाई होती है। सेवरही चीनी मिल नजदीक है और इस चीनी मिल द्वारा उचित ईख मूल्य प्राप्त होता है। बगहा चीनी मिल के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि	

	ईख अधिनियम में अपील पर पुनर्विचार हेतु कोई प्रावधान नहीं है। सहायक ईखायुक्त, मुख्यालय द्वारा बताया गया कि आदेश संख्या–1436 दिनांक–12.09.2025 के विरूद्ध सिधवलिया चीनी मिल प्रबंधन द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में CWJC No. 19350/2025 Magadh Sugar & Energy Ltd. Vs. The States of Bihar& Ors. वाद दायर किया गया है, जो विचाराधीन है। **आदेश** :– बिहार ईख (खरीद एवं विनियमन) अधिनियम–1981 के अन्तर्गत अपील पर पुनर्विचार का प्रावधान नहीं है। अतः अपील सं०–04(A)/2025 को अस्वीकृत किया जाता है। ह०/– **(नर्मदेश्वर लाल)** प्रधान सचिव। ह०/– लेखापित एवं शुद्धित	

बिहार सरकार

गन्ना उद्योग विभाग

ज्ञापांक– अपील सं०–04(A)/2025 – 2019 /पटना, दिनांक 30 दिसम्बर, 2025

प्रतिलिपि–महाप्रबंधक, मेसर्स तिरूपति सुगर्स लि०, बगहा, प० चम्पारण/मेसर्स मगध सुगर एण्ड एनर्जी लि०, इकाई–भारत सुगर मिल्स, सिधवलिया, गोपालगंज/मेसर्स विष्णु सुगर मिल्स लि०, गोपालगंज/अधिशासी निदेशक, द यूनाइटेड प्रोविन्स सुगर कं० लि०, सेवराही, जिला–कुशीनगर (उ० प्र०)/विशेष ईख पदाधिकारी, गोपालगंज/श्री जितेन्द्र कुशवाहा, पिता–किशुनदेव कुशवाहा, ग्राम–सिसवनिया, पोस्ट–कोयरीपट्टी,पी॰एस॰–ठकराहाँ, जिला–पश्चिम चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/12/25

(अरूण कुमार)

अवर सचिव।

ज्ञापांक–अपील सं०–04(A)/2025 – 2019 /पटना, दिनांक 30 दिसम्बर, 2025

प्रतिलिपि–जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण/गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/12/25

अवर सचिव।

ज्ञापांक–अपील सं०–04(A)/2025 – 2019 /पटना, दिनांक 30 दिसम्बर, 2025

प्रतिलिपि–प्रधान सचिव, गन्ना उद्योग विभाग के प्रधान आप्त सचिव/ईखायुक्त, बिहार, पटना के निजी सहायक/संयुक्त ईखायुक्त/सहायक ईखायुक्त (मु०) को सूचनार्थ प्रेषित।

30/12/25

अवर सचिव।

ज्ञापांक–अपील सं०–04(A)/2025 – 2019 /पटना, दिनांक 30 दिसम्बर, 2025

प्रतिलिपि–आई॰ टी॰ प्रबन्धक, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना को वेवसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

30/12/25

अवर सचिव।